रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15052023-245886 CG-DL-E-15052023-245886

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327] No. 327] नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 2023/वैशाख 25, 1945 NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 2023/VAISAKHA 25, 1945

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसुचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2023

फा. सं. एलएम/पीएम/0003/2021/उदय/एलजीएल/157.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएदिल्ली विकास प्राधिकरणकेंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन सेराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनिधकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019 में अतिरिक्त संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:

1. लघु शीर्षक और आरंभ.-

- (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनिधकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- (2) ये विनिमयराजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनिधकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019 (इसके बाद उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) केविनियम 3 के खंड (क) में निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, नामत :-

"बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत खाली भूमि पर कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा या मान्यता नहीं दी जाएगी।"

3140 GI/2023 (1)

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में-

- (i) उप-विनियम (6) के स्थान परनिम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:
- "(6) विनियम 3 के खंड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट श्रेणी-2 भूमि के संबंध में निर्मित क्षेत्र के लिए वसूल किए जाने वाले प्रभारउप-विनियम (5)में यथा विनिर्दिष्ट श्रेणी-1 भूमि के निर्मित क्षेत्र पर लागू प्रभारोंके आधे होंगे।
- (ii) उप-विनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:
- "(7) विनियम 3 के खंड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट श्रेणी-2 भूमि में स्थित खाली प्लॉट के लिए वसूल किये जाने वाले प्रभार निम्नानुसार होंगे:-

क्रम सं.	जहां सभी अनधिकृत कॉलोनियों में सभी संपत्तियों में निवासी का संचयी खाली प्लॉट क्षेत्रफलप्रभार निम्न प्रकार है	प्रभार
(1)	(2)	(3)
1.	100 वर्गमीटर से कम	विनियम 4 केउप-विनियम 4 के संबंध में½ x भूमि क्षेत्रफलx क्षेत्र की सर्किल दर का0.5%
2.	100 वर्गमीटर से अधिक (अथवा बराबर) लेकिन 250 वर्गमीटर से कम	विनियम 4 केउप-विनियम 4 के संबंध में½ x भूमि क्षेत्रफलx क्षेत्र की सर्किल दर का1%
3.	250 वर्गमीटर से अधिक अथवा उसके बराबर	विनियम 4 केउप-विनियम 4 के संबंध में ½ x भूमि क्षेत्रफलx क्षेत्र की सर्किल दर का2.5%।";

- (iii) उप-विनियम (8) को हटा दिया जाएगा।
- 4. उक्त विनियमों में, विनियम 5 मेंउप-विनियम (2) और (3) के स्थान परिनम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:
 - "(2) विनियम 3 के खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट श्रेणी -1 के अंतर्गत आने वाली भूमि के मामले में, भवन के फुटप्रिंट के अंतर्गत भूमि के संबंध में अधिकार प्रदान किए जाएंगे, भले ही भवन में किसी भी तल का कुल क्षेत्रफल (कारपेट एरिया और सर्विस शाफ्ट, बालकनी, बरामदा, खुली छत और कारपेट एरिया से परे कोई भी बढ़ा हुआअन्य क्षेत्र) बिल्डिंग फुटप्रिंट से अधिक हो:

बशर्ते कि ऐसे अधिकार भवन फुटप्रिंट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रअथवाप्लॉट क्षेत्र,जो भी कम हो,से अधिक नहीं होंगे।

(3) विनियम 3 के खंड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट श्रेणी-2 के अंतर्गत आने वाली भूमि के मामले में, खाली प्लॉट के साथ-साथ निर्मित क्षेत्र के लिए, जैसा भी मामला हो, अधिकारों को मान्यता प्रदान की जाएगी:

बशर्ते कि जहां किसी भवन में एक तल का कुल कारपेट एरिया प्लॉट क्षेत्र से अधिक हो या प्लॉट क्षेत्र से परे बढ़ा हुआ हो, वहाँ अधिकार प्लॉट क्षेत्र की सीमा तक सीमित होंगे।"

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./108/2023-24]

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में जी.एस.आर. 814(ई), दिनांक 29 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे,जिन्हें बाद मेंएफ.सं. एलएम/पीएम/0001/2020/उदय/एमओएम दिनांक 27 जुलाई, 2022द्वारासंशोधित करके भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4में दिनांक 27 जुलाई, 2022 को प्रकाशित किया गया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2023

F. No. LM/PM/0003/2021/UDAY/LGL/157.—In exercise of the powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Regulations, 2019, namely:-

1. Short title and commencement.-

- (1) These regulations may be called the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) (Amendment) Regulations, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Regulations, 2019 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, in clause (a) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that no right shall be conferred or recognised on vacant land under this clause."

- 3. In the said regulations, in regulation 4,-
 - (i) for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "(6) The charges for built-up area to be recovered in respect of category-2 land as specified in clause (b) of regulation 3 shall be half of the charges applicable to built up area in category-1 land as specified in sub-regulation (5)."
 - (ii) for sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "(7) The charges to be recovered for vacant plot situated in category-2 land as specified in clause (b) of regulation 3, shall be as follows: –

Sl. No.	Where cumulative vacant plot area charges of a resident in all the properties in all unauthorised colonies is	Charges
(1)	(2)	(3)
1.	less than 100 sqm	½ locality interms of sub-regulation 4of regulation 4.x Land area x 0.5% of circle rate of
2.	More than (or equalto) 100 sqm but lessthan 250 sqm	½ x Land area x 1 % of circlerate of locality in terms of sub-regulation 4 of regulation 4.
3.	Greater than or equalto 250 sqm	½ x Land area x 2.5% of circle rate of locality interms of sub-regulation 4of regulation 4.";

- (iii) sub- regulation (8) shall be omitted.
- **4**. In the said regulations, in regulation 5, for sub-regulations (2) and (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-
 - "(2) In case of land falling under category-1, as specified in clause (a) of regulation 3, the rights shall be conferred in respect of the land under building footprint, even if the total area of any floor in the building (carpet area and any area under service shaft, balcony, veranda, open terrace and any other projections beyond carpet area) exceeds the building footprint:

Provided that such rights shall not exceed area under the building footprint or the plot area, whichever is less.

(3) In case of land falling under category- 2, as specified to in clause (b) of regulation 3, rights shall be recognised for vacant plot as well as built up area, as the case may be:

Provided that where the total carpet area of a floor in a building exceeds the plot area or having projections beyond plot area, rights shall be restricted to the extent of the plot area".

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./108/2023-24]

Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. 814(E), dated the 29th October, 2019 and subsequently amended vide F. No LM/PM/0001/2020/UDAY/MOM dated the 27th July, 2022 published in the Gazette of India, Part III, section 4, dated the 27th July, 2022.